उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

यूपीएसआईडीसी कार्यालय
ए—1/4, लखनपुर,
पोस्ट बाक्स नं0 1050,
कानपुर—208 024
दूरभाष : 2582851—53
फैक्स : (0512) 2580797
वेबसाईट : www.upsidc.com
ई मेल : feedback@upsidc.com

सन्दर्भ सं0 /एसआईडीसी/आईए/एचओ/ दिनांक

—: कार्यालय आदेश :—

निगम में वर्तमान में आरबीआई से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों राष्ट्रीयकृत, निजी तथा विदेशी बैंको द्वारा आवंटियों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने पर अनुमति/अनापत्ति देना तथा पट्टा मारगेज करने की स्वीकृति प्रदान करने की नीति है।

वर्तमान में वित्तीय क्षेत्र में नान बैंकिग फाईनेन्शियल कम्पनी (एनबीएफसी) के बढते रोल एवं सस्ते दरों पर ब्याज उपलब्ध कराने की सुविधा को दृष्टिगत करते हुये निगम के आवंटियों को ऐसी संस्थाओं से भी ऋण आहरित करने की सुविधा प्रदान की गयी हैं इस क्रम में ऋण हेतु अनापत्ति निर्गत करने वाले पत्र में निगम की सामान्य शर्तो के अतिरिक्त निम्न शर्तो को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए:—

क— ऋण के भुगतान न होने पर नीलामी आदि की कार्यवाही करने से पूर्व निगम की अनुमति अनिवार्य रूप से वांछित की जाएगी तथा इस सम्बन्ध में निगम की प्रचलित नीति के अनुसार हस्तान्तरण लेवी/अन्य प्रचलित लेवी को क्रेता के द्वारा जमा कराया जाना सुनिश्चित करना होगा।

ख— संस्था द्वारा पूर्ण भुगतान प्राप्त हो जाने की दशा में पट्टा विलेख निगम को सीधे प्रेषित किया जाएगा।

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या/2293/ एसआईडीसी—आईए—/B-13, Sec/B-2/TC दि0 28.8-12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अनुभागाध्यक्ष, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय कानपुर।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, परियोजना अधिकारी, क्षेत्र प्रबन्धक, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0,
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, (औ0 क्षे0), मुख्यालय, कानपुर।

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner